



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022024-252293
CG-DL-E-22022024-252293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2024/फाल्गुन 2, 1945

No. 106]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024/PHALGUNA 2, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2023

फा. सं. (पीएफआरडीए/16/13/13/0017/2022-आरईजी-आए).—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित उसकी उपधारा (2) के खंड (ब) और धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: -

- इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित (इसके बाद 'मुख्य विनियम' के रूप में संदर्भित), में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :

I. मुख्य विनियमों के विनियम 2 में,

(i) खंड (vi) हटा दिया जाएगा;

(ii) खंड (vii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(vii) "अनुपालन अधिकारी" का अर्थ होगा पदनामित निदेशक या पदनामित भागीदार जो कि गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल) सेवानिवृत्ति सलाहकार से सम्बंधित है, जो अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और विनिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा।"

(iii) खंड (viii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(viii) " प्रभार" अर्थात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अधिनियम के अंतर्गत शामिल किसी अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक, जिसमें लागू कर भी शामिल हैं;"

(iv) खंड (viii) के तुरंत बाद नया खंड (viii क) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

"(viii) "मुख्य कार्मिक" में अनुपालन अधिकारी और कोई अन्य व्यक्ति, जो गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल) सेवानिवृत्ति सलाहकार की ओर से सेवानिवृत्ति सलाह प्रदान करता हो, शामिल होगा;"

(v) खंड (ix) के तुरंत बाद नया खंड (ixक) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

"(ixक) " गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल) सेवानिवृत्ति सलाहकार" अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) के अंतर्गत एक कंपनी, या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी जो प्राधिकरण के साथ सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकृत हो।"

(vi) खंड (x) के तुरंत बाद नया खंड (xक) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

"(xक) "सेवानिवृत्ति सलाह" अर्थात संभावितों को प्रणाली में शामिल करने की प्रक्रिया (ऑनबोर्डिंग), पेंशन निधि के चयन, निवेश आवंटन, पोर्टफोलियो प्रबंधन या जोखिम की रूपरेखा (प्रोफाइलिंग) पर आधारित सलाह से संबंधित गतिविधियों से है, जो सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा उचित रूप से दर्ज की जाती हों तथा संभावित अभिदाता या अभिदाता के लाभ के लिए जिनको पूरा किया जाता हो, जिसमें सेवानिवृत्ति योजना (प्लानिंग) भी शामिल/ होगी।"

स्पष्टीकरण :- समाचार पत्र, पत्रिकाओं, किसी इलेक्ट्रॉनिक, प्रसारण या दूरसंचार माध्यम के द्वारा दी गई सेवानिवृत्ति सलाह, जो व्यापक रूप से सार्वजनिक हो, को इन विनियमों के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्ति सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा;"

(vii) खंड (xi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(xi) "सेवानिवृत्ति सलाहकार" अर्थात कोई व्यक्ति [वैयक्तिक (इंडिविजुअल) या गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल)], जो प्रतिफल के लिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अधिनियम के अंतर्गत शामिल किसी अन्य पेंशन योजना के संभावित अभिदाता या अभिदाता को या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सेवानिवृत्ति सलाह उपलब्ध कराने की गतिविधि में संलग्न हो, जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जो स्वयं को सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में प्रकट करता हो, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो।"

II. मुख्य विनियमों के विनियम 2 का उप-विनियम (2) हटा दिया जाएगा;

III. मुख्य विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"3. पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन.- (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अधिनियम के अंतर्गत शामिल किसी अन्य पेंशन योजना पर सेवानिवृत्ति सलाह प्रदान करने की वांछा रखने वाले वैयक्तिक (इंडिविजुअल) या गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल) को, सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण से, जैसा कि इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित हो, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।"

IV. मुख्य विनियमों के विनियम 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“4. पंजीकरण से छूट.- (1) निम्नलिखित व्यक्तियों या संस्थाओं को, विनियम 3 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा, बशर्ते कि इसके लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों

(क) किसी वकील, अधिवक्ता या विधि कंपनी, जो अपने विधिक अनुशीलन के संबंध में अपने ग्राहकों को प्रासंगिक सेवानिवृत्ति सलाह उपलब्ध कराते हों।

(ख) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्ज्युअरीज ऑफ इंडिया अथवा कोई अन्य व्यवसायिक ईकाई जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, का कोई सदस्य जो अपने ग्राहकों को अपनी व्यवसायिक सेवाओं के संबंध में प्रासंगिक सेवानिवृत्ति संबंधी सलाह प्रदान करता हो।

(ग) कोई अन्य इकाई जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति अथवा इकाई इन विनियमों में यथानिर्दिष्ट सामान्य बाध्यता(ओं) और उत्तरदायित्वों के अनुपालन से आबद्धकर रहेगा और किसी भी प्रकार के चूक जैसा कि इन विनियमों में उपलब्ध है, के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं ने इन विनियमों के अंतर्गत कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है या उन्हें अनुदत्त नहीं किया गया है।”

V. मुख्य विनियमों के विनियम 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“5. सूचना प्रदान करना एवं सत्यापन करना.- (1) आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई किसी भी सूचना में हुए परिवर्तन को ऐसे परिवर्तन किए जाने के तीन कार्य दिवसों के भीतर अवश्य सूचित करना होगा।

(2) प्राधिकरण, प्रदत्त समय के भीतर, आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण देने या किसी(किन्हीं) त्रुटि(यों) को दूर करने की मांग कर सकता है, जिसके अभाव में, आवेदन को उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(3) आवेदक या मुख्य कार्मिक, जैसा भी मामला हो, यदि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, आवेदन पर विचार करते समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

(4) आवेदन पर कार्रवाई करते समय, प्राधिकरण ऐसे किसी भी अभिकरण से रिपोर्ट मांग सकता है, जिसका आवेदन पर प्रभाव पड़ सकता हो।”

VI. मुख्य विनियमों के विनियम 6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“6. पात्रता मानदंड.- पंजीकरण प्रमाणपत्र को अनुदत्त करने के लिए इन विनियमों के अंतर्गत आवेदक द्वारा पूरा किए जाने हेतु अपेक्षित पात्रता मानदंड निम्नलिखित होंगे, नामतः, —

(1) गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल) आवेदक के मामले में:

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक, या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकृत और विनियमित;

(ख) वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत;

(ग) पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट ‘उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति’ मानदंड को पूरा करता हो; और

(घ) इसके मुख्य कार्मिक(कों) द्वारा विनियम 7 के अंतर्गत पात्रता और अन्य अपेक्षाओं के साथ पंचम अनुसूची में निर्दिष्ट ‘उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति’ मानदंड भी पूरा किया जाता हो।

(2) वैयक्तिक (इंडिविजुअल) आवेदक के मामले में :

- (क) विनियम 7 में निर्दिष्ट पात्रता और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता हो;
- (ख) पंचम अनुसूची में निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' मानदंड को पूरा करता हो; और
- (ग) ठीक पिछली तिमाही के अंतिम दिवस पर न्यूनतम मूर्त शुद्ध आस्ति एक लाख रुपये रखता हो।
- (3) प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कोई मध्यवर्ती, सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र नहीं होगा और इसके विपर्यय भी।
- (4) आवेदक के पास सेवानिवृत्ति सलाहकार की गतिविधियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक अवसंरचना हो।
- (5) कोई अन्य मानदंड जो अभिदाताओं के हित में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए।”

VII. मुख्य विनियमों के विनियम 7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“7. पात्रता और अन्य अपेक्षाएं. - किसी वैयक्तिक (इंडिविजुअल) सेवानिवृत्ति सलाहकार और गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल) सेवानिवृत्ति सलाहकार के मुख्य कार्मिकों द्वारा निम्नलिखित न्यूनतम योग्यताएँ सदैव होनी चाहिए:

- (1) किसी भी विधा में स्नातक होना चाहिए या वित्तीय उत्पादों, प्रतिभूतियों, निधि, आस्ति या पोर्टफोलियो प्रबंधन में सलाह के प्रावधान से संबंधित गतिविधियों में पेशेवर योग्यता होनी चाहिए और योग्यता के पश्चात् कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए;
- (2) निम्नलिखित से सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाओं पर प्रमाणन प्राप्त किया हो :
- (क) राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार संस्थान; या
- (ख) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कोई अन्य संस्थान या संगठन।

परन्तु, निम्नलिखित के संबंध में उप-विनियम (2) के अंतर्गत प्रमाणन की अपेक्षा नहीं होगी :

- (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ पंजीकृत निवेश सलाहकार;
- (ii) कोई वकील, अधिवक्ता या विधि कंपनी;
- (iii) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया अथवा किसी अन्य व्यवसायिक ईकाई का सदस्य जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है; या
- (iv) कोई अन्य व्यक्ति जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

परन्तु यह कि, प्रमाणन अपेक्षाओं के अनुपालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर व्यवसायिक शिक्षा पूर्ण करने पर अधिकृत संस्थान से प्रमाणीकरण की वैधता समाप्त होने से पूर्व नया प्रमाणन प्राप्त करना या विद्यमान प्रमाणन को नवीनीकृत करना होगा।

- (3) इन संशोधनों की अधिसूचना से पहले पंजीकृत सेवानिवृत्ति सलाहकार को नवीनीकरण के लिए अपना आवेदन जमा करते समय इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।”

VIII. मुख्य विनियमों का विनियम 8 हटा दिया जाएगा;

IX. मुख्य विनियमों के विनियम 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“9. पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाना.— (1) विनियम 3 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त करने के लिए किसी आवेदन का निपटान प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा:

- (क) आवेदक से संपूर्ण सूचना, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर;
- (ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए दिए गए समय की समाप्ति पर; या
- (ग) आवेदक से विनियम 12 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, या ऐसा स्पष्टीकरण देने के लिए अनुदत्त समय की समाप्ति पर।

- (2) प्राधिकरण, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक विनियम 6 और विनियम 7 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, उसके आवेदन की स्वीकृति की सूचना भेजेगा।
- (3) आवेदक, द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट तरीके से, पंजीकरण शुल्क, उस पर लागू करों और लेवी के साथ, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान करेगा।
- (4) प्राधिकरण, आवेदक को प्रथम अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रपत्र 'ख' में पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकता है और ऐसे प्रमाणपत्र के साथ ऐसे नियमों और शर्तों के अध्यधीन हो।"

X. मुख्य विनियमों के विनियम 11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

- "11. प्रमाणपत्र का नवीनीकरण.-** (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि के समाप्ति से तीन माह पूर्व, सेवानिवृत्ति सलाहकार, यदि ऐसी वांछा करे तो पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण को अनुदत्त करने के लिए शुल्क तथा उस पर लागू करों और लेवी के साथ प्रपत्र 'क' में आवेदन कर सकता है।
- (2) नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ ऐसी अतिरिक्त सूचना और दस्तावेज संलग्न होने चाहिए जो नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने की तिथि पर इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने हेतु सेवानिवृत्ति सलाहकार के लिए अपेक्षित हों।
- परंतु यद्यपि प्राधिकरण, पंजीकरण की वास्तविक अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्य निष्पादन, जिसमें खोले गये नये खाते शामिल हैं, पर भी विचार कर सकता है।
- (3) विद्यमान सेवानिवृत्ति सलाहकार को प्राधिकरण से ऐसा नवीनीकरण अनुदत्त करवाने का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा।"

XI. मुख्य विनियमों के विनियम 12 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

- "12. पंजीकरण को अस्वीकृत करने की प्रक्रिया.-** (1) किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले, प्राधिकरण आवेदक को अपने आवेदन में त्रुटियों या कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए एक नोटिस देगा, जिसे प्राधिकरण की ओर से ऐसे नोटिस के प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर दूर करना होगा।
- परन्तु जहां प्राधिकरण की प्रथम दृष्टया राय यह हो कि पंजीकरण अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए, वह ऐसी राय बनाने के कारणों को सूचित करेगा और यह स्पष्ट करने का यथोचित अवसर देगा कि उसका आवेदन क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए। यह स्पष्टीकरण प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर देना होगा ताकि प्राधिकरण अपनी अंतिम राय बनाने में सक्षम हो सके।
- परन्तु यह भी कि जहां किसी आवेदन को गलत, असत्य या भ्रामक प्रकृति के आधार पर या महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करने से चूक जाने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया हो, तो ऐसे अस्वीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए किसी भी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।"

XII. मुख्य विनियमों के विनियम 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

- "13. पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें.-** (1) विनियम 9 के अंतर्गत प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-
- (क) सेवानिवृत्ति सलाहकार अधिनियम, नियमों, विनियमों के प्रावधानों, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और अनुदेशों का पालन करेगा;
- (ख) सेवानिवृत्ति सलाहकार प्राधिकरण को महत्वपूर्ण जानकारी में किसी भी परिवर्तन की सूचना सात दिनों के भीतर देगा; और
- (ग) सेवानिवृत्ति सलाहकार अपने नाम में 'सेवानिवृत्ति सलाहकार' शब्द शामिल करना होगा।"

XIII. मुख्य विनियमों का विनियम 14 हटा दिया जाएगा;

XIV. मुख्य विनियमों के विनियम 15 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

- "15. सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा लिए जाने वाले प्रभार. -** (1) सेवानिवृत्ति सलाह उपलब्ध कराने हेतु लिए जाने वाले प्रभार प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या परिपत्रों के अनुरूप होंगे।
- (2) सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा लिए गए सभी प्रभारों को अभिदाता या संभावित अभिदाता, जैसा भी मामला हो, को प्रदान की गई सेवा के लिए उचित रसीदें जारी करके विधिवत स्वीकार किया जाएगा।"

XV. मुख्य विनियमों के विनियम 17 के खंड (ठ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(ठ) सेवानिवृत्ति सलाहकार को, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित, 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी), धन शोधन निवारण (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध (सीएफटी) प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए प्रासंगिक विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 17) और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों या किसी अन्य कानून के अंतर्गत आवश्यक केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से समुचित सावधानी बरती जाए।”

XVI. मुख्य विनियमों के विनियम 17 के खंड (त) के बाद नया खंड (थ) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

“(थ) धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय करना और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन नीति का विकास और कार्यान्वयन करना;”

XVII. मुख्य विनियमों के विनियम 17 के नए सम्मिलित खंड (थ) के बाद नया खंड (द) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

“(द) पालन किए जाने वाले आंतरिक नियंत्रण निर्धारित करना और सुनिश्चित करना कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों; और”

XVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 17 के नए सम्मिलित खंड (द) के बाद नया खंड (ध) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

“(ध) “सेवानिवृत्ति सलाहकार की ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही, जो सिद्ध हो गई हो, के कारण किसी भी नुकसान के लिए अभिदाता को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान करना।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, आंतरिक नियंत्रण शब्द अर्थात् सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा अपने कार्यों के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, अभिलेख की सटीकता और पूर्णता तथा समय पर तैयारी और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।

XIX. मुख्य विनियमों के विनियम 18 में, जहां भी 'सलाहकार (advisor)' और 'सलाहकारों (advisors)' शब्द आते हैं, उन्हें क्रमशः 'सलाहकार (adviser)' और 'सलाहकारों (advisers)' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;**XX. मुख्य विनियमों के विनियम 22 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :**

“22. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति.- (1) गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल) सेवानिवृत्ति सलाहकार एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा जो अधिनियम, नियमों, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और विनिर्देशों के सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) अनुपालन अधिकारी में किसी भी परिवर्तन की सूचना उस परिवर्तन के सात दिनों के भीतर प्राधिकरण को दी जानी चाहिए।

XXI. मुख्य विनियमों के विनियम 25 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“25. निरीक्षण.- (1) प्राधिकरण, उचित समझे जाने पर, नियमित अंतराल पर सेवानिवृत्ति सलाहकार का निरीक्षण करेगा।

उपर्युक्त के बावजूद, प्राधिकरण जब भी उचित समझे, इस विनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार के कॉल अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तथा दस्तावेजों सहित बहियों, लेखाओं, अभिलेखों की सीधे या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निरीक्षण या अंकेक्षण कर सकता है या इसके लिए एक अंकेक्षण नियुक्त कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों में शामिल होंगे,-

(क) यह सुनिश्चित करना कि सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा इन विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से लेखाबहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का रखरखाव किया जा रहा है;

(ख) सेवानिवृत्ति सलाहकार की गतिविधियों पर प्रभाव डालने वाले किसी भी मामले पर अभिदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों का निरीक्षण करना;

(ग) यह पता लगाना कि क्या अधिनियम के प्रावधानों और इन विनियमों का सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) अभिदाताओं के हित में और अधिनियम के अंतर्गत शामिल पेंशन योजनाओं की व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार के मामलों की जांच करना।

(3) उप-विनियम (1) के अंतर्गत निहित निरीक्षण की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवानिवृत्ति सलाहकार की सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकों के संबंध में, प्राधिकरण भारतीय रिज़र्व बैंक से, यथावश्यक शक्तियों का प्रयोग करने का अनुरोध कर सकता है।”

XXII. मुख्य विनियमों के विनियम 27 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“27. सेवानिवृत्ति सलाहकार की निरीक्षण संबंधी बाध्यता.- (1) यह उस प्रत्येक सेवानिवृत्ति सलाहकार का कर्तव्य होगा, जिसके संबंध में विनियम 25 के अंतर्गत निरीक्षण का आदेश दिया गया है और कोई भी अन्य संबद्ध व्यक्ति, जिसमें सेवानिवृत्ति सलाहकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, यदि कोई हों सहित, जिसके पास सेवानिवृत्ति सलाहकार के आचरण और मामलों से संबंधित प्रासंगिक सूचना है, वह प्राधिकरण या उसके प्रतिनिधि को उसके पास या नियंत्रण में ऐसी बहियाँ, लेखे और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा और उसे ऐसे विवरण और सूचनाएं प्रदान करेगा जो प्राधिकरण या उसके प्रतिनिधि को निरीक्षण के उद्देश्य से अपेक्षित हों।

(2) प्रत्येक सेवानिवृत्ति सलाहकार और किसी भी अन्य संबद्ध व्यक्ति, जिसके पास सेवानिवृत्ति सलाहकार के आचरण और मामलों से संबंधित प्रासंगिक सूचना है, का यह कर्तव्य होगा, कि वह प्राधिकरण या उसके प्रतिनिधि को जांच से जुड़ी कोई भी सूचना या ऐसी सभी सहायता और सहयोग दे, जो आवश्यक हों।

(3) प्राधिकरण या उसके प्रतिनिधि के पास निरीक्षण के प्रयोजन के लिए, शपथ पर जांच करने और किसी भी कर्मचारी, निदेशक, भागीदार या जिम्मेदार या सेवानिवृत्ति सलाहकार की गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति या सेवानिवृत्ति सलाहकार से संबंधित प्रासंगिक सूचना रखने वाले किसी अन्य संबद्ध व्यक्ति का बयान दर्ज करने की शक्ति होगी।

(4) प्राधिकरण या उसके प्रतिनिधि के पास, निरीक्षण के प्रयोजन के लिए, ऐसे दस्तावेजों, बहियों या लेखाओं पर नियंत्रण या स्वत्व रखने वाले किसी भी व्यक्ति से सेवानिवृत्ति सलाहकार के दस्तावेजों, बहियों, लेखाओं की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की शक्ति होगी।”

XXIII. मुख्य विनियमों के विनियम 28 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“28. प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना.- (1) निरीक्षण करने वाला व्यक्ति, निरीक्षण पूरा होने पर, यथाशीघ्र प्राधिकरण को एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यदि प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) निरीक्षण या अंकेक्षण के दौरान अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या ऐसे व्यक्ति द्वारा एकत्र किया गया कोई भी दस्तावेज या सूचना, प्राधिकरण के समक्ष किसी भी अन्वेषण, जांच या किसी अन्य कार्यवाही में स्वीकार्य होगी।”

XXIV. मुख्य विनियमों के विनियम 29 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“29. निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई.- प्राधिकरण निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने और सेवानिवृत्ति सलाहकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के व्यवस्थित विकास के लिए या इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किसी अन्य पेंशन योजना या अभिदाताओं के लाभ के लिए, जैसा उचित समझे, निर्देश जारी कर सकता है, जिसमें शामिल हैं,-

(क) किसी सेवानिवृत्ति सलाहकार को एक विशेष अवधि के लिए सेवानिवृत्ति सलाह प्रदान करने से प्रतिबंधित करना;

(ख) यदि सेवानिवृत्ति सलाहकार की ओर से किसी कृताकृत्य या चूक के कारण अभिदाता(ओं) को कोई नुकसान होता है तो सेवानिवृत्ति सलाहकार को प्रभार के रूप में एकत्र किए गए किसी भी धन या किसी भी अन्य संग्रह को संबंधित अभिदाता(ओं) को ब्याज और क्षतिपूर्ति के साथ वापस करना होगा।”

XXV. मुख्य विनियमों के विनियम 30 के उप-विनियम 1 के खंड (ड) के उप-खंड (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
“(i) अविलेय (शोधन-अक्षम) हो जाता है या दिवालियेपन या परिसमापन में चला जाता है (प्राधिकरण द्वारा पहले से लिखित रूप में अनुमोदित शर्तों पर पुनर्निर्माण या समामेलन के प्रयोजनों के अलावा);”

XXVI. मुख्य विनियमों के विनियम 30 के उप-विनियम (1) के खंड (च) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :
“(च) पंचम अनुसूची में निर्दिष्ट 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता हो;”

XXVII. मुख्य विनियमों के विनियम 32 के उप-विनियम (1) में, ऐसे उप-विनियम के अंतर्गत आने वाले शब्दों और संख्याओं 'विनियम 32' को 'विनियम 30' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

XXVIII. मुख्य विनियमों की प्रथम अनुसूची को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“प्रथम अनुसूची

प्रपत्र क

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016

[विनियम 3 और 11 देखें]

सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने हेतु आवेदन

निर्देश

1. यह प्रपत्र आवेदक द्वारा सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने हेतु है।
2. आवेदक द्वारा यह प्रपत्र पूरा भरा जाना चाहिए और इसे सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
3. यह आवेदन पत्र इन विनियमों के अनुरूप भरा जाना चाहिए।
4. प्राधिकरण द्वारा आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब वह सभी प्रकार से पूर्ण होगा।
5. सभी सूचनाएं सुपाठ्य होनी चाहिए और प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर / मुहर के साथ सभी पृष्ठों पर क्रमांक लिखा होना चाहिए।
6. जो सूचना अधिक विस्तार से दिए जाने की आवश्यकता हो उसे अलग शीट पर दिया जाना चाहिए जो आवेदन के साथ संलग्न हो और उचित रूप से क्रमांकित हो।
7. आवेदन हस्ताक्षरित होना चाहिए।
8. आवेदन, इन विनियमों की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट आवेदन शुल्क तथा उस पर लागू कर और लेवी सहित होना चाहिए।
9. सेवानिवृत्ति सलाहकार के लिए आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित ई-हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। परन्तु प्राधिकरण किसी भी समय, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी, किसी भी दस्तावेज (पहले से प्रस्तुत) की भौतिक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और यदि उसके पश्चात् यह पाया जाता है कि ऑनलाइन प्रस्तुत की गई सूचना या दस्तावेज, भौतिक प्रतिलिपि से भिन्न है तो प्राधिकरण द्वारा उचित कार्रवाई, जिसमें पंजीकरण निरस्त करना भी शामिल हो सकता है।

1. सामान्य सूचना

(क) दस्तावेजों के साथ आवेदक का नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता, पत्राचार का पता और कारोबार का मुख्य स्थान, टेलीफोन नंबर, ई-मेल पता।

(ख) आवेदन पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए है या नवीनीकरण के लिए। यदि आवेदन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए है तो पंजीकरण संख्या प्रदान करें।

(ग) संपर्क हेतु व्यक्ति(यों) का नाम, डायरेक्ट लाइन नंबर, दूरभाष संख्या और ई-मेल।

(घ) आवेदक की कानूनी संरचना - आवेदक वैयक्तिक (इंडिविजुअल) है या गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल)।

(ङ) क्या आवेदक वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है; यदि हां, तो सहायक दस्तावेजों के साथ विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(च) निगमीकरण / स्थापना की तिथि और स्थान, यदि कोई हो। यदि आवेदक भारत के बाहर निगमित है, तो ऐसे निगमीकरण का विवरण।

(छ) क्या आवेदक इन विनियमों के अंतर्गत आवेदन करने से पहले सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्यों में लगा हुआ है।

(ज) क्या आवेदक आरबीआई, सेबी या आईआरडीएआई के साथ पंजीकृत है। यदि हां, तो ऐसे पंजीकरण का विवरण।

(झ) आवेदक की गतिविधियों पर समीक्षा-लेख -

(नवीनीकरण आवेदन के लिए, मौजूदा सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाओं का विवरण प्रदान करें जिसमें अभिदाताओं की संख्या और प्रकार, सलाह के अंतर्गत आस्ति, राजस्व, लाभप्रदता, उत्पाद / सेवानिवृत्ति उत्पाद जिन पर सेवानिवृत्ति सलाह प्रदान की गई थी, आदि शामिल हैं।)

(ञ) विनियम 7 में यथानिर्दिष्ट वैयक्तिक (इंडिविजुअल) सेवानिवृत्ति सलाहकार या गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल) सेवानिवृत्ति सलाहकार के मुख्य कार्मिकों की पात्रता और अन्य आवश्यकताओं का विवरण।

(वैयक्तिक (इंडिविजुअल) सेवानिवृत्ति सलाहकार या गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल) सेवानिवृत्ति सलाहकार के मुख्य कार्मिक योग्यता के पश्चात अनुभव प्रमाणपत्र, जैसे - बीमा एजेंसी लाइसेंस, म्यूचुअल फंड-एआरएन, स्टॉक ब्रोकर, प्रदान करेंगे)

(सहायक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां प्रदान करनी होंगी)

2. आवेदक का विवरण (उपर्युक्त सामान्य सूचना के अतिरिक्त केवल उसी अनुभाग, जो आप पर लागू हो, का विवरण प्रदान करें)**I. आवेदक का एक कंपनी होने की दशा में :**

1. शेयरधारिता पैटर्न और निदेशकों की पृष्ठभूमि (निदेशकों के पहचान और पते का प्रमाण संलग्न करें) ।
2. आवेदक के मुख्य कार्मिकों की संख्या (मुख्य कार्मिकों के पहचान और पते का प्रमाण संलग्न करें) ।
3. आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई या पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत संबद्ध कंपनियों की सूची, पंजीकरण संख्या सहित।
4. यदि आवेदक एक बैंक या एनबीएफसी है, तो सेवानिवृत्ति सलाहकार की सेवाएं प्रारंभ करने के लिए आरबीआई से प्राप्त अनुमोदन की प्रति।
5. आरबीआई, सेबी या आईआरडीएआई द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।

II. आवेदक का एक सीमित देयताओं वाला साझेदार होने की दशा में:

1. सेवानिवृत्ति सलाह में जुड़ने / शामिल होने के लिए प्रस्तावित साझेदारों के नाम और लाभप्रद स्वामित्व पद्धति (पैटर्न) (साझेदारों के पहचान और पते का प्रमाण संलग्न करें)
2. आवेदक के मुख्य कार्मिकों की संख्या (मुख्य कार्मिकों के पहचान और पते का प्रमाण संलग्न करें)

III. आवेदक का एक वैयक्तिक (इंडिविजुअल) होने की दशा में:

1. पिछली तिमाही के अंतिम दिवस पर आवेदकों की मूर्त शुद्ध आस्ति की स्व-घोषणा, विनियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट।

3. व्यवसाय की योजना (प्लान)

1. प्रस्तावित व्यवसाय योजना (प्लान) और उसे प्राप्त करने के साधन।

4. आधारभूत अवसंरचना का विवरण

1. यह उद्घोषणा कि, आवेदक के पास सेवानिवृत्ति सलाहकार की गतिविधियों के प्रभावी निष्पादन हेतु आवश्यक आधारभूत अवसंरचना मौजूद है।

5. अन्य सूचना / उद्घोषणाएं / विनियामक कार्रवाईयां

1. क्या आवेदक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति के प्रमाणपत्र अनुदत्त किये जाने हेतु आवेदन को प्राधिकार द्वारा पूर्व में अस्वीकृत किया गया है; यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।

2. आवेदक के लिए सीआईबीआईएल से एक क्रेडिट रिपोर्ट / स्कोर (वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग कंपनियों के अतिरिक्त अन्य आवेदकों के लिए)

3. यह उद्घोषणा कि आवेदक, सलाह प्राप्त कर रहे अभिदाता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से, ऐसे अंतर्निहित उत्पादों या प्रतिभूतियों, जिसके लिए अभिदाता को सलाह दी जाती है, से पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति या किसी अन्य रीति में, किसी भी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं करेगा।

4. वैयक्तिक (इंडिविजुअल) आवेदक, या गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल) आवेदक द्वारा यह उद्घोषणा कि उसके मुख्य कार्मिक विनियमन 7 के अंतर्गत योग्यता और अन्य आवश्यकताओं को तथा पंचम अनुसूची में निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' मानदंडों को पूरा करना सदैव सुनिश्चित करेंगे;

5. कोई अन्य सूचना जो कि आवेदक द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के संबंध में सुसंगत समझी जाये।

6. उद्घोषणा कथन

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/करते हैं कि संलग्न पत्रों सहित आवेदन में दी गई सूचना पूर्ण और सत्य है। और मैं/हम इसके अतिरिक्त सहमत हूँ/हैं कि, मैं/हम आवेदन में दी गई सूचना में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को यथाशीघ्र सूचित करूंगा/करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि, मैं/हम पीएफआरडीए अधिनियम 2013 और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियमन, 2016 सहित इसके अधीन निर्मित नियमों, विनियमों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशानिर्देशों/ परिपत्रों/ अधिसूचनाओं/ अनुदेशों/ निर्देशों का अनुपालन करने से आबद्धकर रहूंगा/रहेंगे। ।

इसके अतिरिक्त मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि, पंजीकरण की शर्तों के तौर पर, मैं/हम ऐसे परिचालनात्मक निर्देशों/ आदेशों, जैसा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, से आबद्धकर रहूंगा/रहेंगे।

के लिए और की ओर से

(आवेदक का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / आवेदक

(हस्ताक्षर)

(तिथि और स्थान)

प्रपत्र ख

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016

[विनियम 9 देखें]

सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 27 की उप-धारा 3 और उसके साथ पठित उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा को

अधिनियम और उसके अधीन निर्मित विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन सेवानिवृत्त सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए यह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

II. सेवानिवृत्ति सलाहकार की पंजीकरण संख्या _____ है और यह की अवधि तक वैध रहेगा।

तिथि :

स्थान : नई दिल्ली

के लिए और की ओर से

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण”

XXIX. मुख्य विनियमों की द्वितीय अनुसूची को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“द्वितीय अनुसूची

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016

[विनियम 9 देखें]

शुल्क

1. प्रत्येक आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुदत्त या नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश, परिपत्र, निर्देश या विनिर्देश के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है।
2. आवेदक को प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या नवीनीकरण के समय पंजीकरण / नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश, परिपत्र, निर्देश या विनिर्देश में निर्धारित किया जा सकता है।
3. आवेदक द्वारा उसे प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण' के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट / ऑनलाइन मोड या ऐसे अन्य तरीकों से, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है, आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
4. इस अनुसूची के अंतर्गत देय शुल्क की राशि को प्राधिकरण समय-समय पर उपयुक्त परिपत्र, दिशानिर्देश, निर्देश या अधिसूचनाएं जारी करके संशोधित कर सकता है। आवेदक को प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित लागू शुल्क का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर वह पंजीकरण अनुदत्त करने या उसके नवीनीकरण, जैसा भी मामला हो, का हकदार नहीं होगा।”

XXX. मुख्य विनियमों की तृतीय अनुसूची के खंड 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“9. वरिष्ठ प्रबंधन का उत्तरदायित्व

एक गैर-वैयक्तिक (नॉन इंडिविजुअल) सेवानिवृत्ति सलाहकार के मुख्य कार्मिकों द्वारा आचरण के उचित मानकों को बनाये रखने और निगमित निकाय द्वारा उचित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा।

एक सेवानिवृत्ति सलाहकार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत गतिविधियों के संचालन में अभिदाताओं के हितों को स्वयं के हितों से उच्च स्थान देगा।

सेवानिवृत्ति सलाहकार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण या अन्य मध्यवर्तियों के विरुद्ध किसी प्रकार के अपमानित करने वाले या अभद्र बयान या टिप्पणी देने के कृत्य से स्वयं को अलग रखेगा।

XXXI. मुख्य विनियमों की चतुर्थ अनुसूची का शीर्षक इस प्रकार होगा :

“चतुर्थ अनुसूची

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016

[विनियम 19 देखें]"

XXXII. मुख्य विनियमों में 'चतुर्थ अनुसूची' के बाद नई अनुसूची निम्नानुसार अंतःस्थापित की जाएगी :

"पंचम अनुसूची

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016

[विनियम 6 देखें]

'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' निर्धारित करने के लिए मानदंड

(1) यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' है, प्राधिकरण किसी भी मानक को ध्यान में रख सकता है जिसे वह उचित समझे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, किन्तु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं:

भाग- क

- (क) वित्तीय सत्यनिष्ठा;
- (ख) दोषसिद्धि या नागरिक देनदारियों का न होना;
- (ग) सक्षमता;
- (घ) उत्तम प्रतिष्ठा और चरित्र;
- (ङ) दक्षता और ईमानदारी; और
- (च) वित्तीय विलेयता और शुद्ध मालियत (नेट वर्थ)।

भाग-ख

वह व्यक्ति जो निम्नलिखित कारणोंवश अयोग्य है, उसको 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं माना जाएगा -

- (क) प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 के अंतर्गत आपराधिक शिकायत या सूचना दायर की गई हो और जो लंबित हो;
- (ख) ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध आर्थिक अपराध से संबंधित मामलों में किसी प्रवर्तन अभिकरण द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया हो और लंबित हो;
- (ग) प्रतिभूति कानूनों या वित्तीय बाजारों या बीमा कानून से संबंधित किसी भी मामले में प्राधिकरण, या किसी अन्य वित्तीय विनियामक या प्रवर्तन अभिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध प्रतिबंध, निषेध या रोक का आदेश पारित किया गया हो और ऐसा आदेश लागू हो;
- (घ) ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा वसूली कार्यवाही शुरू की गई हो और लंबित हो;
- (ङ) नैतिक अधमता या आर्थिक अपराध या धोखाधड़ी से जुड़े किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध किसी सजा का आदेश पारित किया गया हो;
- (च) ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध कोई समापन कार्यवाही शुरू की गई हो या समापन का आदेश पारित किया गया हो;
- (छ) ऐसे व्यक्ति जिनको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो और जिनका उन्मोचन नहीं किया गया हो;
- (ज) ऐसे व्यक्ति जिनको सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क का पाया गया हो और यह निर्णय लागू हो;
- (झ) ऐसे व्यक्ति जिनको इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;
- (ञ) ऐसे व्यक्ति जिनको भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया हो; या
- (ट) कोई अन्य अयोग्यता जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) जहां किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के आदेश द्वारा उपयुक्त और उचित व्यक्ति घोषित नहीं किया गया है, ऐसा व्यक्ति उक्त आदेश में प्रदान की गई अवधि के दौरान या यदि आदेश में ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है तो आदेश के प्रभावी होने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए, किसी भी पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) प्राधिकरण की राय में, जहां कोई मध्यवर्ती या उसका कोई मुख्य कार्मिक, किसी भी समय खंड (1) के भाग-क के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता हो या खंड (1) के भाग-ख के अंतर्गत अयोग्य या अक्षम पाया जाता हो तो, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

परन्तु कोई मध्यवर्ती, जो खंड (1) के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने वाले अपने ऐसे मुख्य कार्मिक को, उसे पूरा न करने के तीस दिनों के भीतर हटा देगा और अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा।

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./760/2023-24]

नोट : पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1 के माध्यम से दिनांक 17 जून, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 संख्या 261 में प्रकाशित किया गया था, और इसके पश्चातवर्ती संशोधनों में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से दिनांक 5 मई, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 185 में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से दिनांक 01 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 228 में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से दिनांक 11 सितंबर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 345 में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से दिनांक 28 दिसंबर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 496 में और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2017 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से दिनांक 03 दिसंबर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 442 में प्रकाशित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2024

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (RETIREMENT ADVISER) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

F. No. (PFRDA/16/13/13/0017/2022-REG-RA).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (w) of sub-section (2) thereof and clause (d) of sub-section (2) of section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016, namely:-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Amendment) Regulations, 2023.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016, as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), the following amendments are made.

I. In regulation 2 of the principal regulations,

- (i) Clause (vi) shall be deleted;
- (ii) Clause (vii) shall be substituted as follows:

“(vii) “compliance Officer” shall mean a designated director or designated partner of a non-individual retirement adviser, duly responsible for monitoring compliance of the provisions of the Act, rules, regulations, notifications, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority;”

(iii) Clause (viii) shall be substituted as follows:

“(viii) “charges” means remuneration along with applicable taxes for services rendered by the retirement adviser under National Pension System or any other pension scheme covered under the Act;”

(iv) New clause (viiiia) shall be inserted immediately after clause (viii) as follows:

“(viiiia) “key personnel” shall include compliance officer and any other person who provides retirement advice on behalf of the non-individual retirement adviser;”

(v) New clause (ixa) shall be inserted immediately after clause (ix) as follows:

“(ixa) “non-individual retirement adviser” means a company under section 2(20) of the Companies Act, 2013, or limited liability partnership registered under Limited Liability Partnership Act, 2008, and registered as retirement adviser with the Authority.

(vi) New clause (xa) shall be inserted immediately after clause (x) as follows:

“(xa) “retirement advice” means activity relating to onboarding of prospects, advice on pension fund selection, investment allocation, portfolio management or risk profiling, which are properly recorded by the retirement adviser and has been undertaken for the benefit of the prospect or subscriber and shall include retirement planning.

Explanation:- Retirement advice given through newspaper, magazines, any electronic, broadcasting or telecommunications medium, which is widely available to the public, shall not be considered as retirement advice for the purpose of these regulations;”

(vii) clause (xi) shall be substituted as follows:

“(xi) “retirement adviser” means any person being an individual or non-individual, who for consideration, is engaged in the activity of providing retirement advice on National Pension System or any other pension scheme covered under the Act, to prospect or subscriber or other persons or group of persons and includes any person who holds out himself as a retirement adviser, by whatever name called.”

II Sub-regulation (2) of regulation 2 of the principal regulations shall be deleted;

III Sub-regulation (1) of regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**3. Application for grant of certificate of registration.**- (1) An individual or non-individual desirous to provide retirement advice on National Pension System or any other pension scheme covered under the Act, shall obtain a certificate of registration from the Authority, to act as a retirement adviser, as provided under these regulations.”

IV Regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**4. Exemption from registration.** - (1) The following persons or entities shall not be required to obtain a certificate of registration under regulation 3 subject to the fulfilment of the conditions stipulated therefor, —

(a) An advocate, solicitor or law firm, who provides retirement advice to their clients, incidental to their legal practice.

(b) A member of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Cost Accountants of India, Institute of Actuaries of India or any other professional body as may be determined by the Authority, who provides retirement advice to his clients, incidental to his professional service.

(c) Any other entity as may be determined by the Authority.

Provided that such persons or entities shall comply with the general obligation(s) and responsibilities as specified in these regulations and shall be fully liable for any defaults, as provided under these regulations, notwithstanding that such persons or entities have not obtained or granted any certificate of registration under these regulations.”

V Regulation 5 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**5. Furnishing and verification of information.**- (1) The applicant shall intimate change in any information contained in the application, immediately but not later than three working days of occurrence of such change.

- (2) The Authority may require the applicant to furnish any further information or clarification or require to remove any defect(s), within the time granted, in the absence of which, application shall be considered on its merits.
- (3) The applicant or key personnel, as the case may be, if so required by the Authority, shall appear in person while considering the application.
- (4) While processing the application, the Authority may seek report from any agency, which may have a bearing on the application.”

VI. Regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“6. **Eligibility criteria.**- The eligibility criteria required to be fulfilled by an applicant under these regulations for grant of certificate of registration shall be the following, namely, —

- (1) In case of non-individual applicant:
 - (a) registered with and regulated by the Reserve Bank of India, or the Securities and Exchange Board of India, or the Insurance Regulatory and Development Authority of India;
 - (b) registered under Goods and Services Tax Act;
 - (c) fulfils the ‘fit and proper person’ criteria as specified in Fifth Schedule; and
 - (d) its key personnel fulfil(s) the qualification and other requirements under regulation 7 and also the ‘fit and proper person’ criteria as specified in Fifth Schedule.
- (2) In case of individual applicant:
 - (a) fulfils the qualification and other requirements specified in regulation 7;
 - (b) fulfils the ‘fit and proper person’ criteria specified in Fifth Schedule; and
 - (c) possess a minimum tangible net assets of rupees one lakh, as on the last day of immediately preceding quarter.
- (3) An intermediary registered with the Authority shall not be eligible to be registered as a retirement adviser and vice-versa.
- (4) The applicant has the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of a retirement adviser.
- (5) Any other criteria that may be laid down by the Authority, in the interest of the subscribers.”

VII Regulation 7 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“7. **Qualification and other requirements.**- An individual retirement adviser and key personnel of non-individual retirement adviser, shall possess the following minimum qualifications, at all times:

- (1) be a graduate in any discipline or have professional qualification and post qualification experience of at least three years, in activities relating to provision of advice in financial products, securities, fund, asset or portfolio management;
 - (2) possess certification on retirement advisory services from:
 - (a) National Institute of Securities Market; or
 - (b) any other organization or institution as may be determined by the Authority.
- Provided that certification under sub-regulation (2) shall not be required in respect of:
- (i) an investment adviser registered with the Securities and Exchange Board of India;
 - (ii) an advocate, solicitor or law firm;
 - (iii) a member of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Cost Accountants of India, Institute of Actuaries of India or any other professional body, as may be determined by the Authority; or
 - (iv) any other person as may be determined by Authority.

Provided further that fresh certification, or renewal of the existing certificate through continuing professional education shall be obtained from the accredited institute before expiry of the validity of the existing certificate to ensure continuity in compliance with certification requirements.

- (6) Retirement adviser registered prior to notification of these amendments, shall be required to fulfil the requirement specified under these regulations at the time of submission of his application for renewal.”

VIII Regulation 8 of the principal regulations shall be deleted;**IX Regulation 9 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“9. Grant of certificate of registration. – (1) An application for grant of certificate of registration under regulation 3 shall be disposed of by the Authority within thirty days of:

- (a) receipt of complete information, if any, from the applicant;
 - (b) expiry of the time granted for submission of further information under sub-regulation (2) of regulation 5; or
 - (c) the explanation, if any, received under sub-regulation (1) of regulation 12 from the applicant or upon expiry of the time granted for giving such explanation.
- (2) The Authority on being satisfied that the applicant fulfils the requirements specified in regulation 6 and regulation 7 shall send intimation conveying acceptance of his application.
- (3) The applicant shall pay the registration fees along with applicable taxes and levies thereon, as determined by the Authority, in the manner specified under Second Schedule.
- (4) The Authority may grant a certificate of registration to the applicant in Form B as specified under First Schedule and subject to observance of such terms and conditions accompanying such certificate.

X Regulation 11 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“11. Renewal of certificate. - (1) Three months before the expiry of the period of validity of the certificate of registration, the retirement adviser may, if he so desires, make an application in Form A for grant of renewal of certificate of registration, along with the fee plus taxes and levies thereon.

(2) The application for renewal shall be accompanied by such additional information and documents as are required for the retirement adviser to fulfill the eligibility criteria specified under these regulations as on the date of submission of application for renewal.

Provided however that the authority shall take into consideration, the performance of retirement adviser during the original period of registration including the number of new accounts opened.

(3) An existing Retirement Adviser shall have no special rights or privilege for grant of such renewal by the Authority.

XI Sub-regulation (1) of regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“12. Procedure where registration is refused. - (1) Before rejecting an application, the Authority shall give a notice to the applicant to remove the defects or deficiencies, if any, in its application within fifteen days of receipt of such notice from the Authority.

Provided where the Authority is *prima facie* of the opinion that registration ought not be granted, it shall communicate the reasons for forming such an opinion and give the opportunity to explain why the application should be accepted, within fifteen days of receipt of the communication from the Authority, to enable it to form a final opinion.

Provided further that where an application has been rejected on the grounds of being incorrect, false or misleading in nature or has omitted to disclose material facts, no fresh application for grant of certificate of registration shall be considered for a period of one year from the date of rejection.”

XII Regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“13. Conditions of certificate of registration. - (1) The certificate of registration granted under regulation 9 shall be subject to the following conditions:-

- (a) the retirement adviser shall abide by the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions, and instructions issued by the Authority;
- (b) the retirement adviser shall inform any change in material information to the Authority within seven days; and
- (c) the retirement adviser shall include the words ‘retirement adviser’ in its name.”

XIII Regulation 14 of the principal regulations shall be deleted;**XIV Regulation 15 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“15. Charges to be collected by Retirement Adviser. - (1) The charges to be collected for providing retirement advice shall be in accordance with guidelines or circulars issued by the Authority.

(2) All charges collected by the retirement adviser shall be duly acknowledged by issuance of appropriate receipts for the service provided to subscriber or prospect, as the case may be.”

XV Clause (l) of regulation 17 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(l) A retirement adviser shall follow ‘Know Your Customer’(KYC), Anti Money Laundering (AML) and Countering Financing of Terrorism (CFT) procedure as determined by the Authority, from time to time and ensure that due diligence procedure is conducted through effective use of KYC verification process as required under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (17 of 2003) and the rules notified thereunder or any other law, besides relevant regulations, guidelines, circulars, and directions issued by the Authority in that behalf;”

XVI New clause (q) shall be inserted after clause (p) of regulation 17 of the principal regulations as follows:

“(q) take all measures necessary for prevention of fraud and develop and implement a fraud prevention and mitigation policy in accordance with guidelines issued by Authority;”

XVII New clause (r) shall be inserted after newly inserted clause (q) of regulation 17 of the principal regulations as follows:

“(r) lay down internal controls to be followed and ensure that such controls are adequate and operating effectively; and”

XVIII New clause (s) shall be inserted after newly inserted clause (r) of regulation 17 of the principal regulations as follows:

“(s) make provision for indemnifying the subscriber for any loss on account of fraud or negligence on the part of the retirement adviser, which has been established.

Explanation: For the purpose of this regulation, the term internal control means the policies and procedures adopted by the Retirement Adviser for ensuring the orderly and efficient conduct of its functions, including prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the records, and the timely preparation and submission of compliance reports.”

XIX In regulation 18 of the principal regulations, the terms ‘advisor’ and ‘advisors’ wherever appearing, shall be substituted with ‘adviser’ and ‘advisers’ respectively;**XX Regulation 22 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“22. **Appointment of compliance officer.**- (1) Non-individual retirement adviser shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance by the retirement adviser of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority.

(2) Any change in the compliance officer should be intimated to the Authority within seven days.”

XXI Regulation 25 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“25. **Inspection.**- (1) The Authority shall inspect the retirement adviser at regular intervals as it deems fit.

Notwithstanding the above, the Authority may at any time as it deems fit, undertake directly or through its authorized representative, or appoint an auditor, to conduct an inspection or audit of the books, accounts, records, including the call records and electronic records and documents of the retirement adviser for the purposes as specified under this regulation.

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) shall include, -

(a) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained by the retirement adviser in the manner specified in these regulations;

(b) to inspect into complaints received from subscribers or any other person, on any matter having a bearing on the activities of the retirement adviser;

(c) to ascertain whether the provisions of the Act and these regulations are being complied with by the retirement adviser; and

(d) to inspect into the affairs of a retirement adviser, in the interest of the subscribers and for ensuring the orderly growth of pension schemes covered under the Act.

(3) In respect of banks offering services of retirement adviser, without prejudice to the powers of inspection as contained under sub-regulation (1), the Authority may request the Reserve Bank of India to exercise such powers, as may be required.”

XXII Regulation 27 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“27. **Obligation of retirement adviser on inspection.**- (1) It shall be the duty of every retirement adviser in respect of whom an inspection has been ordered under the regulation 25 and any other associated person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of such retirement adviser, including

representative of retirement adviser, if any, to produce to the Authority or its representative such books, accounts and other documents in his custody or control and furnish him with such statements and information as the Authority or its representative may require for the purpose of inspection.

- (2) It shall be the duty of every retirement adviser and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of the retirement adviser to give to the Authority or its representative, any information or all such assistance and co-operation, as may be required in connection with the inspection.
- (3) The Authority or its representative shall, for the purpose of inspection, have power to examine on oath and record the statement of any employee, director, partner or person responsible for or connected with the activities of retirement adviser or any other associated person having relevant information pertaining to such retirement adviser.
- (4) The Authority or its representative shall, for the purpose of inspection, have power to obtain authenticated copies of documents, books, accounts of retirement adviser, from any person having control or custody of such documents, books or accounts.”

XXIII Regulation 28 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**28. Submission of report to the Authority.**- (1) The person conducting inspection shall, as soon as possible, on completion of the inspection, submit an inspection report to the Authority.

Provided that if directed to do so by the Authority, such person may submit an interim report.

(2) The report submitted by the authorized person or any documents or information so collected by such person, during the course of inspection or audit, would be admissible in any investigation, inquiry or any other proceedings before the Authority.”

XXIV Regulation 29 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**29. Action on the inspection report.**- The Authority may after consideration of the inspection report and after giving reasonable opportunity of hearing to the retirement adviser or its authorized representatives, issue such directions as it deems fit for the orderly growth of National Pension System or any other pension scheme covered under the Act or for the benefit of the subscribers including,-

- (a) restraining a retirement adviser from providing retirement advice, for a particular period;
- (b) requiring the retirement adviser to refund any money collected as charges or any other collections made, to the concerned subscriber(s) along with interest and compensation, for loss, if any, caused to the subscriber(s) by an act of commission or omission on the part of retirement adviser.”

XXV Sub-clause (i) of clause (e) of sub-regulation 1 of regulation 30 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(i) becomes insolvent or goes into bankruptcy or liquidation (other than for the purposes of a reconstruction or amalgamation on terms previously approved in writing by the Authority);”

XXVI Clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 30 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(f) fails to fulfil the ‘fit and proper person’ criteria as specified in Fifth Schedule;”

XXVII In sub-regulation (1) of regulation 32 of the principal regulations, the words and numbers ‘regulation 32’ appearing inside such sub-regulation, shall be substituted with ‘regulation 30’;

XXVIII First Schedule of the principal regulations shall be substituted as follows:

“FIRST SCHEDULE

FORM A

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016

[See regulations 3 and 11]

Application for grant of certificate of registration / renewal as retirement adviser

INSTRUCTIONS

1. This form is meant for use by the applicant for grant of certificate of registration as a retirement adviser.
2. The applicant should complete this form, and submit it, along with all supporting documents to the Authority at its head office at New Delhi.

3. This application form should be filled in accordance with these regulations.
4. The application shall be considered by the Authority provided it is complete in all respects.
5. All information must be legible and all the pages must be numbered with signature/ stamp on each page of the form.
6. Information which needs to be supplied in more detail may be given on separate sheets which should be attached to the application form and appropriately numbered.
7. The application must be signed.
8. The application must be accompanied by an application fee along with applicable taxes and levies thereon as specified in the Second Schedule to these regulations.
9. The application form for retirement adviser with all required documents can also be submitted online with e-signature. Provided that the Authority may seek submission of physical copy of any document (already submitted), at any time, including after issuance of registration certificate and if it is found thereupon, that the information or document so submitted online, is at variance with the physical copy since submitted, suitable action may be taken by the Authority, which may also entail cancellation of registration.

1. GENERAL INFORMATION

- (a) Name, address of the registered office, address for correspondence and principal place of business, telephone number(s), e-mail address of the applicant along with the documents.
- (b) Whether application is for registration or renewal. Provide registration number if the application is for renewal of certificate.
- (c) Name, direct line number, mobile number and e-mail of the contact person(s).
- (d) Legal structure of applicant - Whether the applicant is an individual or non-individual.
- (e) Whether the applicant is registered under Goods and Services Tax Act. If yes, details along with supporting documents to be furnished.
- (f) Date and place of incorporation/ establishment, if any. If the applicant is incorporated outside India, details of such incorporation.
- (g) Whether the applicant is engaged in retirement advisory services prior to making application under these regulations.
- (h) Whether the applicant is registered with RBI, SEBI, or IRDAI in any capacity. If so, details of such registration.
- (i) Write-up on the activities of the applicant.
(For renewal application, provide details of existing retirement advisory services including number and type of subscribers, assets under advice, revenue, profitability, products/ retirement products on which retirement advice was provided, etc.)
- (j) Details of the qualification and other requirements of individual retirement adviser or key personnel of non-individual retirement adviser as specified in regulation 7.

(Individual retirement adviser or key personnel of non-individual retirement adviser shall provide post qualification experience certificate like Insurance agency license, Mutual Fund – ARN, stock broker)

(Provide self-certified copies of supporting documents)

2. DETAILS OF APPLICANT (besides general information sought above provide details of only the section applicable to you)

I. In case applicant is a company:

1. Shareholding pattern and profile of the directors (Enclose identity proof and address proof of the directors).
2. Number of key personnel of the applicant (Enclose identity proof and address proof of the Key personnel)
3. List of associated companies registered with RBI, SEBI, IRDAI or PFRDA along with the registration number.
4. If applicant is a bank or NBFC, then copy of approval from RBI for undertaking retirement advisory services.
5. Copy of registration certificate issued by RBI, SEBI or IRDAI.

II. In case applicant is a limited liability partnership:

1. Names and beneficial ownership pattern of the partners engaged/proposed to engage in retirement advice (Enclose identity proof and address proof of the partners).
2. Number of key personnel of the applicant (Enclose identity proof and address proof of the Key personnel)

III. In case applicant is an individual

1. Self-declaration of tangible net assets of the applicants as on the last day of immediately preceding quarter as specified in regulation 6.

3. BUSINESS PLAN

1. Proposed business plan and means of achieving the same.

4. DETAILS OF INFRASTRUCTURE

1. Declaration that the applicant has the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of a retirement adviser.

5. OTHER INFORMATION / DECLARATIONS / REGULATORY ACTIONS.-

1. Whether any previous application for grant of certificate made by any person directly or indirectly connected with the applicant has been rejected by the Authority; If yes, provide details of the same.
2. A credit report/ score from CIBIL for the applicant. (For applicants other than financial institutions & banking companies)
3. Declaration that the applicant shall not obtain any consideration by way of remuneration or compensation or any other form whatsoever, from any person other than the subscriber being advised, in respect of the underlying products or securities for which advice is provided to the subscriber.
4. Declaration by the individual applicant, or non-individual applicant that its key personnel shall always ensure to fulfil qualification and other requirements under regulation 7 and 'fit and proper person' criteria as specified in Fifth Schedule;
5. Any other information considered relevant to the nature of services to be rendered by the applicant.

6. DECLARATION STATEMENT

I/We hereby agree and declare that the information supplied in the application, including the attachment sheets, is complete and true. AND I/ we further agree that, I/we shall notify the Authority immediately of any change in the information provided in the application. I/ We further agree that I/ we shall comply with, and be bound by the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and the rules and regulations made thereunder including the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Advisers) Regulations, 2016, and any guidelines, circulars, notifications, directions and instructions as may be issued by the Authority from time to time.

I/ We further agree that as a condition of registration, I/ we shall abide by such operational instructions/directives as may be issued by the Authority from time to time.

For and on behalf of
(Name of the applicant)
Authorized signatory/ Applicant
(Signature)
(Date and Place)

FORM B

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016

[See regulation 9]

Certificate of registration as retirement adviser

In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development authority Act, 2013 (23 of 2013), read with the regulations made thereunder, the Authority hereby grants a certificate of registration to _____ act as a retirement adviser subject to the conditions specified hereunder and in the Act and in the regulations made thereunder.

II. The registration number of the retirement adviser is _____ and shall remain valid until.....

Date :

Place : New Delhi

For and on behalf of
Pension Fund Regulatory and Development Authority”

XXIX Second Schedule of the principal regulations shall be substituted as follows:

“SECOND SCHEDULE

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016

[See regulation 9]

FEES

1. An applicant shall pay non-refundable application fees as may be determined by the Authority through issuance of guidelines, circular, instructions or directions, along with the application for grant or renewal of certificate of registration.
2. An applicant shall pay registration / renewal fee at the time of grant of or renewal of certificate by the Authority, as may be determined by the Authority, through issuance of guidelines, circular, instructions or directions.
3. The fee shall be paid by the applicant within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Authority by a demand draft / online mode in favour of ‘PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY’ payable at New Delhi or in such other manners of payment as may be determined by the Authority, from time to time.
4. The quantum of fee payable under this schedule may be revised by the Authority from time to time, by issuance of appropriate circulars, guidelines, directions or notifications. The applicant shall be required to pay the applicable fee as determined by the Authority failing which it shall not be entitled to grant of registration or renewal thereof, as the case may be.”

XXX Clause 9 of third schedule of the principal regulations shall be substituted as follows:

“9. Responsibility of senior management

The key personnel of a non-individual retirement adviser shall have the primary responsibility for ensuring the maintenance of appropriate standards of conduct and adherence to proper procedures by the body corporate.

A retirement adviser shall place the interest of the subscribers over personal interest in conducting the activities under the National Pension System or any pension scheme covered under this Act.

A retirement adviser shall refrain from making any derogatory, disparaging remarks or statements against the National Pension System or any other pension scheme or the Authority or other intermediaries.”

XXXI Fourth schedule of the principal regulations shall be titled as follows:

“FOURTH SCHEDULE

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016

[See regulation 19]”

XXXII New schedule shall be inserted after ‘FOURTH SCHEDULE’ in the principal regulations as follows:

“FIFTH SCHEDULE

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016

[See regulation 6]

Criteria for determining a ‘Fit and proper person’

(1) For determining whether any person is a ‘fit and proper person’, the Authority may take into account any factors as it deems fit, including but not limited to the following criteria:

Part-A

- (a) financial integrity;
- (b) absence of convictions or civil liabilities;
- (c) competence;
- (d) good reputation and character;
- (e) efficiency and honesty; and
- (f) financial solvency and net worth.

Part-B

A person shall not be considered as a 'fit and proper person' if any of the following disqualifications are incurred:-

- (a) criminal complaint or information under section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has been filed against such person by the Authority and which is pending;
- (b) charge sheet has been filed against such person by any enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
- (c) an order of restraint, prohibition or debarment has been passed against such person by the Authority, or any financial regulator or enforcement agency in any matter concerning securities laws or financial markets or insurance law and such order is in force;
- (d) recovery proceedings have been initiated by the Authority against such person and are pending;
- (e) an order of conviction has been passed against such person by a court for any offence involving moral turpitude or involving economic offences or fraud;
- (f) any winding up proceedings have been initiated or an order for winding up has been passed against such person;
- (g) such person has been declared insolvent and not discharged;
- (h) such person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (i) such person has been categorized as a willful defaulter;
- (j) such person has been declared a fugitive economic offender; or
- (k) any other disqualification as may be determined by the Authority.

(2) Where a person has been declared as not fit and proper person by an order of the Authority, such a person shall not be eligible to apply for any registration during the period provided in the said order or for a period of five years from the date of effect of the order, if no such period is specified in the order.

(3) In the opinion of the Authority, where an intermediary or any its key personnel, at any point of time ceases to satisfy the criteria under Part-A of clause (1) or incurs any disqualification or disability under Part-B of clause (1), its certificate of registration is liable to be suspended or cancelled, in accordance with the provision of these regulations.

Provided that an intermediary shall remove its key personnel, ceasing to satisfy the criteria, under clause (1) within thirty days, from such cessation and inform the Authority of the action taken."

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./760/2023-24]

Note : The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/1, on the 17th June, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 261, and were subsequently amended by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (First Amendment) Regulations, 2017 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/10, on the 05th May, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 185, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Second Amendment) Regulations, 2017 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/10, on the 01st June, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 228, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Third Amendment) Regulations, 2017 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/10, on the 11th September, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 345, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/10, on the 28th December, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 496 and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Fifth Amendment) Regulations, 2017 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/10, on the 03rd December, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 442.